

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 01/2024

उनवान

1. श्रीमती पार्वती पारीक पत्नि श्री कैलाश चन्द्र पारिक नि० आमलीगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री अम्बा लाल पुत्र श्री भैरु जाट नि० आमलीगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
2. श्री बालू पुत्र श्री भैरु जाट नि० आमलीगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
3. श्री लेहरू पुत्र श्री भैरु जाट नि० आमलीगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
4. श्रीमती सुरती देवी पत्नि श्री भैरु जाट नि० आमलीगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।(डिलीट)
5. श्रीमती चांदी देवी पत्नि श्री भंवर जाट नि० आमलीगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 06.02.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 04.01.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम आमलीगढ प.ह. आमलीगढ भू०अ०नि० क्षेत्र मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 470 की आ.न. 1413/624 कुल किता 01 रकबा 0.6265 है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.01.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम आमलीगढ प.ह. आमलीगढ भू०अ०नि० क्षेत्र मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 470 की आ.न. 1413/624 कुल किता 01 रकबा 0.6265 है०, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 06.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(सुशील कुमार सैनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ (राज.)